

**छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. ५८६ /एफ-२-१९/३१/एस-२/२०१९,  
प्रति:

अटल नगर, दिनांक ११/०२/२०२०

**मुख्य अभियंता,**  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय :-** बस्तर जिले के विकासखंड-दरभा की मुनगाबहार व्यपवर्तन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** 1. प्र.अ. का पत्र क्र.-99/बो.प्र./प्रशा.स्वी./२०१९/८९९३, रायपुर, दिनांक १७.०७.२०१९.  
2. मु.अ. का ज्ञाप क्रमांक-२७३७५/डी/जे.डी.पी./एम.आर.पी./२०१८/९६९३, रायपुर, दिनांक ३०.११.२०१९.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा बस्तर जिले के विकासखंड-दरभा की मुनगाबहार व्यपवर्तन योजना हेतु लागत राशि रु. ९६५.४६ लाख (रुपये नौ करोड़ पैसठ लाख छियालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से ३७२ हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१, अनुसूचित जनजाजित उपयोजना, लेखा शीर्ष -४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०१}-सतही जल, ०१०२- अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (३८२८)-लघु सिंचाई योजना, #९७-निर्माण कार्य, ००३ बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. ११६६/सी.एन. ३१-०२३४१/बजट-२/वित्त/चार/२०१९, दिनांक २४.१२.२०१९ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार**

( याकूब खासा ) १२०  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. ५४७ / एफ-२-१९/३१ / एस-२/२०१९,

अटल नगर, दिनांक ११/०२/२०२०

प्रतिलिपि :-

- १ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- २ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- ३ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ४ अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ५ सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ६ महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ७ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ८ कलेक्टर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- ९ संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- १० प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
- ११ उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
- १२ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)।
- १३ अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- १४ कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी जल संसाधन संभाग, जगदलपुर, जिला-बस्तर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- १५ आदेश फॉल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग